



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241093
CG-DL-E-14122022-241093

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5614|
No. 5614|

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5850(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, अतः रेफ्रीजरेटिंग अप्लायेंसिस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

- (1) इस आदेश को रेफ्रीजरेटिंग अप्लायेंसिस (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 कहा जाएगा।
(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।
- रेफ्रीजरेटिंग अप्लायेंसिस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में पैरा 1 के उप-पैरा (2) में '01.01.2023' अंकों को '01.01.2024' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 29026/3/2019-एलईआई]

अनिल अग्रवाल, अपर सचिव

नोट : मुख्य आदेश अधिसूचना संख्या का.आ. 4489(अ), दिनांक 10 दिसंबर, 2020 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा अधिसूचना संख्या का.आ. 5339(अ) दिनांक 22 दिसंबर, 2021 के जरिए इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 14th December, 2022

S.O. 5850(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Refrigerating Appliances (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. (1) This order may be called the Refrigerating Appliances (Quality Control) Amendment Order, 2022.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Refrigerating Appliances (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the figures “01.01.2023”, the figures “01.01.2024” shall be substituted.

[F. No. 29026/3/2019-LEI]

ANIL AGRAWAL, Addl. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 4489(E), dated the 10th December, 2020 and amended *vide* notification number S.O. 5339(E), dated the 22nd December, 2021.